

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 35]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 सितम्बर 2011—भाद्र 11, शक 1933

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्र. ई-1-275-2011-5-एक.—(1) श्रीमती रेनु तिवारी, भाप्रसे (2000), उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग तथा संचालक, संपदा संचालनालय को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न कलेक्टर, बड़वानी पदस्थ किया जाता है.

(2) उपरोक्तानुसार श्रीमती रेनु तिवारी, भाप्रसे (2000) द्वारा कलेक्टर, बड़वानी का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री एस. के. सकुनिया, राप्रसे (पी-1992), अपर कलेक्टर, बड़वानी, कलेक्टर, बड़वानी के चालू प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्र. ई-5-327-आयएस-लीव-एक-5.—(1) श्री अशोक दास, आयएस. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग को

दिनांक 19 से 28 सितम्बर 2011 तक दस दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18 सितम्बर 2011 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री अशोक दास को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री अशोक दास को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक दास अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अवनि वैश्य, मुख्य सचिव.

जेल विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 अगस्त 2011

क्र. एफ-03-4-2007-तीन.—अशासकीय संदर्शकों की नियुक्ति के संबंध में विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ-03-04-2007-तीन, दिनांक 27 जुलाई 2011 के अनुक्रम में जारी समसंख्यक संशोधन आदेश दिनांक 28 जुलाई 2011 को राज्य शासन, एतद्वारा निरस्त करता है। विभागीय अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई 2011 में वर्णित नियुक्तियां यथावत रहेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. पीटर, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2011

फा. क्र. 1(सी) 14-2009-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक दो सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्यप्रदेश द्वारा अभियोजित प्रकरणों में राज्य शासन की ओर से पैरवी करने हेतु, प्रदेश के सभी जिलों में पदस्थ डी.डी.पी./डी.पी.ओ. को पदानुसार ब्यूरो के प्रकरणों में पैरवी हेतु, विशेष लोक अभियोजक घोषित करता है।

यह आदेश डी.डी.पी./डी.पी.ओ. पर लागू होगा जिन जिले में वे पदस्थ हैं।

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2011

फा. क्र. 17(ई) 39-2011-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री हीरालाल साहू, भृत्य, जिला स्थापना सतना की सेवाएं यूनियन कार्बाइड जहरीली गैस रिसाव जांच आयोग, भोपाल में भृत्य के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति किए जाने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल को सौंपता है।

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2011

फा. क्र. 1(बी) 11-04-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक दो सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्वारा, श्री अलंकार वशिष्ठ पुत्र स्व. श्री लक्ष्मीनारायण जी वशिष्ठ, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये गुना सत्र खण्ड के गुना राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, गुना नियुक्त करता है तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

फा. क्र. 1(बी) 17-04-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक दो सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री रविन्द्र कुमार पुरोहित पुत्र श्री काशी प्रसाद पुरोहित, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए दतिया सत्र खण्ड के दतिया राजस्व जिले के लिये अति. लोक अभियोजक, सेवदा नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2011

फा. क्र. 1(बी) 11-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक दो सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, श्री अनिल कुमार पाण्डे पुत्र श्री ब्रजभूषण पाण्डे, अधिवक्ता को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए ग्वालियर सत्र खण्ड के राजस्व जिले ग्वालियर के लिए अति. लोक अभियोजक नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना-पत्र देकर बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अगस्त 2011

क्र. 15-05-2011-सात-6.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 93, 94(2) 95, 96, 97(1), 98(2) के साथ पठित धारा 258 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2) के खण्ड (तेरह), (चौदह), (पन्द्रह), (सोलह), (सत्रह) तथा (अठारह) के अधीन बनाये गये नियमों के नियम 29 के साथ पठित उक्त संहिता की धारा 97 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम 2 में वर्णित नगर-नेवरी, जिला देवास के खण्डों (ब्लाकों) के संबंध में उक्त सारणी के कालम (3), (4), (5) तथा (6) को तत्स्थानी प्रविष्टियों में उल्लेखित कर निर्धारण की मानक दर प्रकाशित

करता है जिन्हें राज्य शासन ने उक्त नगर को ऐसी भूमि पर कर निर्धारण के लिये अनुमोदित किया गया है, जो वाणिज्यक/ औद्योगिक प्रयोजनों और आवासगृहों के लिये या ऐसे ही समान प्रयोजनों के लिये जो कृषि भिन्न प्रयोजन हेतु उपयोग में लायी जाती है:—

क्र.	समूह एवं नगर का नाम	प्रति 100 वर्ग फीट के हिसाब से निर्धारण मानक दर		प्रति 10 वर्ग मीटर के हिसाब से निर्धारण मानक दर	
		आवासीय	वाणि./औद्यो.	आवासीय	वाणि./औद्यो.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नेवरी	04.87	07.31	5.25	7.87

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक गुप्ता, अपर सचिव.

नर्मदा घाटी विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र. एफ-31-17-2010-सत्ताईस-1.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम, 1999 (क्रमांक 23 सन् 1999) की धारा 2 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नीचे दी गई सारणी के कालम (5) में यथा विनिर्दिष्ट कृषक संगठनों के लिये उक्त सारणी के कालम (3) तथा (4) में यथा विनिर्दिष्ट कार्य क्षेत्र अधिसूचित करता है अर्थात्:—

स. क्र.	सिंचाई प्रणाली का नाम	कार्य का कमाण्ड क्षेत्र		
		ग्रामों की संख्या	विस्तार हेक्टेयर में	कृषक संगठनों की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	खजूरी वितरण शाखा रेलवा माईनर, सांगवी माईनर	6	2504.92	1
2.	बंजारी वितरण शाखा	3	686.76	1
3.	तलवाडा वितरण शाखा (माइनर एम-1, एम-3, एम-6)	7	1462.34	1
4.	तलवाडा वितरण शाखा (माइनर एम-8, एम-9, एम-10)	5	1462.91	1
5.	तलवाडा वितरण शाखा (माइनर एम-4, एम-5, एम-7)	4	1463.61	1
6.	तलवाडा वितरण शाखा (माइनर एम-2, एस, एम-2)	2	508.56	1
7.	बांडी वितरण शाखा सनगांव माइनर	10	1520.79	1

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. व्ही. सिंह, उपसचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 अगस्त 2011

क्र. एफ-3-70-2010-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा इस विभाग की सूचना क्रमांक एफ-3-70-2010-बत्तीस, दिनांक 26 मई 2011 द्वारा उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार प्रकाशित गुना विकास योजना 2011 में निम्नलिखित उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं:—

उपांतरण विवरण

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल हेक्टेयर	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ग्राम-कुसमौदा	सर्वे क्रमांक 114, 142, 115, 117/2	9.538 हेक्टेयर में से 1.15 हेक्टेयर भूमि कम कर 8.333 हेक्टेयर.	आमोद-प्रमोद	औद्योगिक शर्त—आवासीय क्षेत्र एवं मार्ग से संलग्न 30 मीटर चौड़ाई की पट्टी आमोद-प्रमोद उपयोग हेतु सुरक्षित रखी जाये.
योग . .			8.333 हेक्टेयर		

(2) उपरोक्त उपांतरण गुना विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2011

फा. क्र. 17(ई) 83-03-3056-इक्कीस-ब(एक)-011.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(1), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 104 और 104-A तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत् क्षेत्र के अनुसार)
(1)	(2)	(3)	(4)
“104.	उज्जैन	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन	सिविल जिला उज्जैन के समस्त ग्रामीण विद्युत् क्षेत्र (अनुक्रमांक 104-A तथा 105 के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर).
104-A.	उज्जैन	नवम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन	सिविल जिला उज्जैन के समस्त शहरी विद्युत् क्षेत्र.”

टिप्पणी.—विशेष न्यायालय में लंबित मामले उनकी क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार नवीन गठित न्यायालय में अंतरित हो जायेंगे.

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F.No. 17(E)-83-03-XXI-B(1) dated 16th September, 2010 namely:—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the table, for serial numbers 104 and 104-A and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Territorial Jurisdiction of Special Court (According to the electricity Area)
(1)	(2)	(3)	(4)
“104.	Ujjain	IVth Additional Sessions Judge, Ujjain	All electricity Area of Civil District, Ujjain of Ujjain Rural (excluding the jurisdiction of special court at serial number 104-A and 105)
104-A	Ujjain	IXth Additional Sessions Judge, Ujjain	All electricity Area of Civil District, Ujjain of Ujjain Urban.”

Note.—The pending cases of the Special Court shall be stand transferred to the newly Constituted Court according to their territorial Jurisdiction.

फा. क्र. 17(ई) 83-03-3056-इक्कीस-ब(एक)-011.—विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-क्रमांक 17(ई)83-03-इक्कीस-ब(1), दिनांक 16 सितम्बर 2010 में, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 104 और 104-A तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

सारणी

क्रमांक	सिविल जिले का नाम	विशेष न्यायालय का नाम	विशेष न्यायालय के न्यायाधीश का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
“ 104.	उज्जैन	चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन.	श्री बी.पी. शर्मा, चतुर्थ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन.
104-A	उज्जैन	नवम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन.	श्री राजेश गुप्ता, नवम् अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, उज्जैन.”

F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(one).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), the State Government, with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in this Department's Notification F. No. 17(E) 83-03-XXI-B(1), dated 16th September, 2010, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for Serial number 104 and 104-A and entries relating thereto the following

serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S. No.	Name of the Civil District	Name of Special Court	Name of the Judge of the Special Court
(1)	(2)	(3)	(4)
“104.	Ujjain	IVth Additional Sessions Judge, Ujjain	Shri B. P. Sharma, IVth Additional Sessions Judge, Ujjain.
104-A	Ujjain	IXth Additional Sessions Judge, Ujjain	Shri Rajesh Gupta, IXth Additional Sessions Judge, Ujjain.”.

फा. क्र. 1-1-88-3006-इक्कीस-ब(एक)-011.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का. 49) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-1-88-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 24 अक्टूबर, 2009 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 6 नवम्बर, 2009 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 41 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची

अनुक्रमांक	सेशन न्यायाधीश/ अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश	स्थानीय क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
“41.	सेशन न्यायाधीश, शाजापुर	शाजापुर.”.

F. No. 1-1-88-3006-XXI-B(1)-011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988), the State Government hereby, makes the following amendment in this Department's Notification F. No. 1-1-88-XXI-B(1), dated 24th October, 2009 which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part-I dated 6th November, 2009 namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the Schedule, for serial number 41 and entries relating thereto the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:—

S.No.	Sessions Judge/Additional Sessions Judge	Local area
(1)	(2)	(3)
“41.	Sessions Judge, Shajapur	Shajapur.”.

फा. क्र. 1-6-89-3055, 3057-इक्कीस-ब(एक)-011.—स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 36 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 1-6-89-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 3 अप्रैल, 1998 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 17 अप्रैल, 1998 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 13 और 18 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा

उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुक्रमांक	न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम	विशेष न्यायालय	स्थानीय क्षेत्र/सेशन खण्ड
(1)	(2)	(3)	(4)
“13.	श्री प्रकाश चंद्र मिश्रा, द्वितीय अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, दमोह.	दमोह	दमोह
18.	श्रीमती रेणुका कंचन, प्रथम अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, देवास.	देवास	देवास.”

यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें.

F. No. 1-6-89-3055, 3057-XXI-B(1)-011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No. 61 of 1985), the State Government, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 1-6-89-XXI-B(1), dated 3rd April, 1988, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I dated 17th April, 1998, namely :—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the Schedule, for Serial number 13 and 18 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall respectively be substituted, namely:—

S. No.	Name and Designation of the Judge	Special Court	Local area/Session division
(1)	(2)	(3)	(4)
“13.	Shri Prakash Chandra Mishra, IInd Additional Sessions Judge, Damoh	Damoh	Damoh
18	Smt. Renuka Kanchan, Ist Additional Sessions Judge, Dewas	Dewas	Dewas.”

This amendment shall come into force from the date on which the Judge as specified in the Notification assumes the charge of this office in the said Court.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ए. जे. खान, प्रमुख सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 10 अगस्त 2011

क्र. 1250-भू-अर्जन-11-अनुबंध पत्र का संशोधन.—जिला

खरगोन तहसील कसरावद के ग्राम भट्याण बुजूर्ग के महेश्वर जल विद्युत परियोजना की डूब से प्रभावितों के पुर्नबसाहट हेतु ग्राम भट्याण बुजूर्ग की निजी कृषि भूमि क्षेत्रफल 34.603 हेक्टर के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 41 के तहत पत्र क्रमांक-963-भू-अर्जन-2011, दिनांक 17 जून 2011 से जारी अनुबंध-पत्र में त्रुटिपूर्ण पृविष्टी का मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 के

पृष्ठ क्रमांक 2616, दिनांक 22 जुलाई 2011 पर प्रकाशन हुआ है। जिसको निम्नानुसार संशोधित पृविष्टी पढ़ा जावे :—

अनु.क्र.	त्रुटिपूर्ण पृविष्टि	सही संशोधित पृविष्टि
(1)	(2)	(3)
01.	परिशिष्ट-1 निजी कृषि भूमि एवं उस पर स्थित संरचनाएं/ परिसंपत्तियां एफ.आर.एल. के अन्तर्गत ग्राम भट्याण बुजूर्ग.	परिशिष्ट-1 महेश्वर जल विद्युत परियोजना से डूब प्रभावित ग्राम भट्याण बुजूर्ग के पुर्नबसाहट हेतु.

शेष पृविष्टियां यथावत् रहेंगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश

सागर, दिनांक 17 अगस्त 2011

क्र. 6872-20 सूत्रीय-2011.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11 (1) में निहित शक्तियों का उपयोग करते हुये मैं, डॉ. ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी), सागर, कृषि उपज मण्डी समिति, खुरई में संसद सदस्य (लोक सभा) सागर द्वारा सांसद प्रतिनिधि नियुक्ति हेतु निर्दिष्ट सदस्य का नाम निम्नानुसार अधिसूचित करता हूँ :—

श्री अरविन्द सिंह, सांसद धारा 11(1) घ
निवासी भगतसिंह वार्ड, प्रतिनिधि.
खुरई, जिला सागर.

ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी (मण्डी).

कार्यालय कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्र. 8669-व.लि.-2011-संशोधित आदेश.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1509-10-व.लि.-2011, धार, दिनांक 14 फरवरी 2011 आदेश के अनुक्रमांक-2 अनुसार श्री शंकर सवारी (छबीने का दूसरा दिन) वार मंगलवार दिनांक 23 अगस्त 2011 सम्पूर्ण तहसील बदनावर के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था, उक्त के संबंध में

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बदनावर द्वारा अपने पत्र क्रमांक 1219-री-1-2011, बदनावर, दिनांक 19 जुलाई 2011 से अवगत कराया है कि उक्त दिनांक को जन्माष्टमी का त्यौहार होने से तथा बदनावर में उज्जैन के मान से श्री शंकर सवारी निकलने से झांकी निकालने वाले पदाधिकारियों के द्वारा लिखित सूचना देकर निवेदन किया है कि पूर्व में दिनांक 22 अगस्त 2011 को सवारी निकलना थी तथा अगले दिन दिनांक 23 अगस्त 2011 को स्थानीय अवकाश किया गया है, इसमें परिवर्तन किया जावे.

अतः अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बदनावर तथा झांकी निकालने वाले पदाधिकारियों के लिखित निवेदन को ध्यान में रखते हुए दिनांक 23 अगस्त 2011 को घोषित स्थानीय अवकाश (सम्पूर्ण बदनावर तहसील क्षेत्र हेतु) निरस्त कर उनके निवेदन अनुसार अब दिनांक 29 अगस्त 2011, वार सोमवार को श्री शंकर सवारी 'छबीना' निकलने पर अगले दिन अर्थात् दिनांक 30 अगस्त 2011 को वार मंगलवार को सम्पूर्ण तहसील बदनावर के लिए मात्र स्थानीय अवकाश सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-4, नियम-8 तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-2-1999-एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के तहत स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है शेष अनुक्रमांक-1-3 एवं 4 यथावत् रहेंगे.

उक्त अवकाश बैंक एवं कोषालय, उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे.

(कलेक्टर द्वारा आदेशित).

बी. एम. शर्मा, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश

मंदसौर, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र. ब.श्र.-2011-2248.—बंधक श्रमिक प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 13(2) एवं 13(3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मैं, महेंद्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, मंदसौर बंधक श्रमिक जिला सतर्कता समिति एवं उपखण्डों के लिए बंधक श्रमिक उपखण्ड सतर्कता समितियां निम्नानुसार गठित करता हूँ :—

जिला सतर्कता समिति, मंदसौर

1. धारा 13(2) ए—जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष
2. धारा 13(2) बी—अजा/अजजा/के सदस्य :—
 1. श्री अशोक निनामा, अजरोटी सदस्य
ग्राम नांदवेल.

2. श्री आनंद तंवर, 24 तिलक नगर, मंदसौर. सदस्य
3. श्री रमेशचंद्र अहिरवार, नई आबादी, गुजरदा. सदस्य
3. धारा 13(2) सी—जिले के सामाजिक कार्यकर्ता :—
1. श्री प्रवीण जैन, भावगढ़ सदस्य
2. श्री शंकरलाल पाटीदार, पूर्व सरपंच, जवासिया. सदस्य
3. श्रीमती सचिता नितीन शिन्दे, गणपति चौक, मंदसौर. सदस्य
4. धारा 13(2) डी—ग्रामीण विकास से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के सदस्य :—
1. पुलिस अधीक्षक, जिला मंदसौर / सदस्य
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मंदसौर. सदस्य
3. जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंदसौर सदस्य
5. धारा 13(2) ई—वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य :—
- जिला अग्रणी बैंक अधिकारी, मंदसौर सदस्य
- उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड, मंदसौर
1. धारा 13(3) ए—उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मंदसौर अध्यक्ष
2. धारा 13(3) बी—अजा/अजजा/के तीन सदस्य :—
1. श्री भेरूलाल पिता कचरू भील, नि. धुंघडका. सदस्य
2. श्री काशीराम मेघवाल, नि. खिलचीपुरा सदस्य
3. श्री मांगीलाल पिता लक्ष्मण चमार, नि. धुंघडका. सदस्य
3. धारा 13(3) सी—सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य :—
1. श्री जगदीश पिता रंगलाल, नि. ढिकोला सदस्य
2. श्री सुरेशचंद्र पिता चम्पालाल पाटीदार, नि. रीछालालमुंहा. सदस्य
3. श्रीमती उमा गुप्ता पति लाल बहादुर सदस्य
4. धारा 13(3) डी—ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्य :—
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मंदसौर. सदस्य
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, भानपुरा. सदस्य
3. अनुविभागीय अधिकारी, कृषि विभाग, मंदसौर. सदस्य
5. धारा 13(3) ई—वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य :—
- प्रबंधक, सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, शाखा मंदसौर. सदस्य
2. मंडल संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंदसौर. सदस्य
3. सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मंदसौर. सदस्य
5. धारा 13(3) ई—वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य :—
- प्रबंधक, जिला केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर सदस्य
6. धारा 13(3) एफ—धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :—
- उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मंदसौर
- उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड, गरोठ
1. धारा 13(3) ए—उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गरोठ अध्यक्ष
2. धारा 13(3) बी—अजा/अजजा/के तीन सदस्य :—
1. श्री नरवरसिंह सोनगरा, निवासी चचावदा पठारी. सदस्य
2. श्री नंदकिशोर बुन्दीवाल, निवासी बरखेड़ा, लोया. सदस्य
3. श्री उदयराम मेहर, निवासी भानपुरा सदस्य
3. धारा 13(3) सी—सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य :—
1. श्री सुरेश कुमार धनोतिया, निवासी अंत्रालिया. सदस्य
2. डॉ. कन्हैयालाल कोटवाल, निवासी गरोठ सदस्य
3. श्रीमती कविता पति अनिलकुमार राठौर नि. भानपुरा सदस्य
4. श्रीमती स्नेहलता गुप्ता, नि. गुराडिया नरसिंह. सदस्य
4. धारा 13(3) डी—ग्रामीण विकास के संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्य :—
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सदस्य
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सदस्य
3. अनुविभागीय अधिकारी, कृषि विभाग, सदस्य
5. धारा 13(3) ई—वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य :—
- प्रबंधक, सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक, शाखा गरोठ. सदस्य

6. धारा 13(3) एफ—धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :—
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गरोठ.
- उपखण्ड स्तरीय सतर्कता समिति, उपखण्ड, मल्हारगढ़
1. धारा 13(3) ए—उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मल्हारगढ़ अध्यक्ष
2. धारा 13(3) बी—अजा/अजजा के तीन सदस्य :—
1. श्री शंकरलाल पिता गंगाराम बागडी, सदस्य
नि. रूनिजा.
2. श्री रामप्रसाद पिता गोवर्धनलाल जयपाल, सदस्य
नि. तितरोद.
3. श्री केगु पिता कुका भील, नि. काचरिया सदस्य
3. धारा 13(3) सी—सामाजिक कार्यकर्ता के सदस्य :—
1. श्री विक्रमसिंह पिता प्रभाकरसिंह महुवा सदस्य
2. श्री किशोरलाल पिता सज्जनलाल जैन, सदस्य
नि. सीतामऊ.
3. श्रीमती देउबाई पति भंवरलाल राठौर, सदस्य
नि. लदुना.
4. धारा 13(3) डी—ग्रामीण विकास कार्य से संबंधित शासकीय अथवा अशासकीय संस्था के तीन सदस्य :—
1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सदस्य
जनपद पंचायत, सीतामऊ.
2. मंडल संयोजक, आदिम जाति कल्याण सदस्य
विभाग, सीतामऊ.
3. वरिष्ठ कृषि विकास विस्तार अधिकारी, सदस्य
सीतामऊ.
5. धारा 13(3) ई—वित्तीय साख संस्था का एक सदस्य :—
प्रबंधक, जिला केन्द्रीय बैंक, सीतामऊ सदस्य
6. धारा 13(3) एफ—धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :—
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, मल्हारगढ़.
6. धारा 13(3) एफ—धारा 10 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अधिकारी :—
उपखण्ड मजिस्ट्रेट, सीतामऊ.

महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 626-राजस्व-11.

सतना, दिनांक 18 अगस्त 2011

करारनामा

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, भोपाल, जरिये कलेक्टर, सतना

..... प्रथम पक्ष

भिलाई जे. पी. सीमेंट लिमिटेड, बाबूपुर, जिला सतना

..... द्वितीय पक्ष

सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल (प्रथम पक्ष) के ज्ञाप क्रमांक एफ-12-16-2011-सात-2ए, भोपाल, दिनांक 23 जुलाई 2011 से द्वितीय पक्ष के द्वारा स्थापित हो रहे भिलाई जे. पी. सीमेंट लिमिटेड, बाबूपुर, जिला सतना के मेगा सीमेंट प्लांट को भू-अर्जन अधिनियम, 1894 के तहत ग्राम बिरहुली की 2.81 एकड़ निजी भूमि के भू-अर्जन की शर्त स्वीकृति देते हुए उक्त अधिनियम की धारा 41 के प्रावधानों के अनुरूप यह करारनामा निष्पादित किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश शासन ने भू-अर्जन अधिनियम की धारा 40 के अधीन/की गई जांच से संतुष्ट होकर कि प्रस्तावित अर्जन मेगा सीमेंट की रेल्वे सायडिंग के लिए आवश्यक है और उक्त कार्य आम जनता के लिए उपयोगी सिद्ध होने की संभावना मानते हुए भिलाई जे. पी. सीमेंट लिमिटेड, बाबूपुर, जिला सतना की ओर से निजी भूमि अर्जित करने की अनुज्ञा दी है।

यह करारनामा निम्नलिखित मुद्दों का साक्षी है:—

1. यह कि द्वितीय पक्ष, भिलाई जे. पी. सीमेंट लिमिटेड, बाबूपुर, जिला सतना का डायरेक्टर हूँ.
2. भारत सरकार की वर्ष 2007 (अधिसूचित 31-10-2007) की राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति, मध्यप्रदेश शासन की पुनर्वास नीति एवं केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के समय-समय पर जारी निर्देश एवं शर्तें होंगी जिसका पूर्णतः पालन करते हुए पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की कार्यवाही की जावेगी.
3. कंपनी द्वारा (इस आशय की करारनामों या वचनबद्धता के अनुसार) जिन कृषकों की भूमि अधिग्रहित की जा रही है उनके परिवार के कम से कम एक सदस्य को पात्रतानुसार नौकरी देने में प्राथमिकता देगी. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास किये जाने की स्थायी योजना को संबंधित प्रोजेक्ट में शामिल किया जावेगा.
4. भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत भू-अर्जन की जा रही भूमि के मूल्यांकन के आधार पर शत-प्रतिशत राशि के साथ 10 प्रतिशत राशि जमा कराये जाने के आदेश का पालन किया जावेगा.
5. संबंधित कंपनी के लिए भू-अर्जन किये जाने संबंधित कार्य संबंधित कलेक्टर के द्वारा भू-अर्जन अधिनियम तथा संबंधित विधिक उपबंधों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत दिये गये प्रावधानों तथा शर्तों के अनुसार किया जायेगा.
6. संबंधित परियोजना को स्थापित करने के संबंध में संबंधित कंपनी द्वारा मध्यप्रदेश पुनर्वास नीति एवं भारत सरकार की पुनर्वास नीति, 2007 एवं अन्य निर्देश के अन्तर्गत पुनर्वास की कार्यवाही की जायेगी.
7. कम्पनी के संबंध में करारनामा, वचनबद्धता एवं शर्तें आदि लागू करने के लिये कलेक्टर जो भी कार्यवाही करेंगे, मान्य होगी.
8. भूमि के किसी उपयोग या उस पर किसी निर्माण के पूर्व सभी आवश्यक अनुमतियां अनुमोदन एवं अनापत्तियां संबंधित संस्था नगर तथा ग्राम निवेश विभाग एवं अन्य स्थानीय संस्थाओं से आवश्यक आपत्तियां संबंधित कंपनी को प्राप्त करना होगी तथा मास्टर प्लान एवं पर्यावरण संस्था के नियमों आदि का पूर्ण पालन किया जायेगा.
9. अर्जित की गई निजी भूमि का वार्षिक व्यपवर्तन कर कंपनी द्वारा देय होगा.
10. भूमि जिस उपयोग के लिए अर्जित की जा रही है, वही उपयोग कंपनी द्वारा किया जायेगा.

11. भूमि पर निर्माण कार्य कराते समय सामान्य जनता के निस्तार आदि का ध्यान रखा जायेगा.
12. कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी भी निर्माण अथवा भवन आदि को बेचने, बन्धक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अन्तरित करने का अधिकार नहीं होगा. (धारा 44-ए भू-अर्जन अधिनियम के तहत).
13. यदि कंपनी को दी गई भूमि/भवन उसके किसी भी भाग को विक्रय करती है, तो भूमि अथवा उस पर निर्मित भवन, इमारतें, शासन को अपने कब्जे में लेने का अधिकार होगा और कंपनी को किसी प्रकार का मुआवजा देय नहीं होगा.
14. भूमि की केवल सतह का उपयोग किया जायेगा. आवश्यक निर्माण जैसे भवन निर्माण, नीव आदि के अतिरिक्त खुदाई नहीं की जायेगी तथा ऐसी खुदाई में प्राप्त खनिज पर नियमानुसार रायल्टी का भुगतान करना होगा.
15. शासन की पूर्वानुमति के बिना भूमि के उपयोग के स्वरूप को बदला नहीं जावेगा.
16. पर्यावरण की दृष्टि से पर्याप्त आवश्यक वृक्षारोपण किया जावेगा.
17. कंपनी द्वारा प्रदूषण निवारण हेतु व्यवस्था की जावेगी. इस संबंध में शासन के संबंधित विभाग के आदेशों का पालन करना होगा तथा उनसे एवं प्रदूषण निवारण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होंगे कि पर्यावरण, जल स्रोत या वायु में प्रदूषण नहीं किया जावेगा.
18. यदि कभी उक्त भूमि का उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए नहीं होता है या बाद में कभी बंद कर दिया जाता है तो भूमि तथा उस पर निर्मित भवन, सम्पत्तियों के साथ शासन में निहित हो जावेगी और कंपनी को इस हेतु मुआवजा देय नहीं होगा.
19. भूमि या उसके किसी भी भाग या उस पर बने किसी भवन आदि को उक्त उल्लिखित उपयोग के अलावा न तो किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने दिया जायेगा और न ही पट्टे या किराये पर दिया जायेगा.
20. भू-अर्जन की मुआवजा की राशि रुपये 5 लाख प्रति एकड़ अथवा पुनर्वास नीति में उल्लेखित राशि में से जो भी अधिक हो, कंपनी से ली जावेगी.
21. मौके की स्थिति या स्थानीय आवश्यकतानुसार भू-अर्जन की कार्यवाही के दौरान कलेक्टर द्वारा लगाई अन्य आवश्यक शर्तें मान्य होंगी.

हस्ता./-
(सुनील जोशी)

डायरेक्टर
भिलाई जे.पी. सीमेंट लिमिटेड, बाबूपुर
जिला सतना

हस्ता./-
(सुखबीर सिंह)

कलेक्टर,
जिला सतना, मध्यप्रदेश.

साक्षी क्रमांक 1.

हस्ता./-
(जे. के. चौहान)

साक्षी क्रमांक 2.

हस्ता./-
(अविनाश कुमार राय)

साक्षी क्रमांक—1.

हस्ता./-
(राजीव दीक्षित)
डिप्टी कलेक्टर,
जिला सतना. (म. प्र.)

साक्षी क्रमांक —2.

हस्ता./-
(आर. बी. शर्मा)
सहा. वर्ग-3
कलेक्टर, सतना.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
जबलपुर, दिनांक 17 सितम्बर 2010

क्र. 4-अ-82-09-10-भू.अ.अ.-10, जबलपुर, सात-1-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उनके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि के अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 (2) में द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसी संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम नं. बं.	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जबलपुर	जबलपुर	ग्वारीघाट नं.बं. 603 प.ह.नं. 23/27	0.154	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग भ/स. सं. क्र. 1 जबलपुर	खारीघाट से साईंधाम तक प्रस्तावित मार्ग निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
झाबुआ, दिनांक 15 जुलाई 2011

क्र. 2525-भू-अर्जन-2010-राजस्व प्र. क्र.-ए-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त मकानों के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	मकानों का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	सुखनेड़ा, धोलीखाली, केशरपुरा, बोरघाटा, भेरूपाड़ा	506.69	कार्यपालन यंत्री माही परियोजना मुख्य बांध संभाग, पेटलावद, जिला झाबुआ.	माही मुख्य बांध निर्माण के डूब क्षेत्र हेतु.

योग . . 506.69

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 5 अगस्त 2011

प्र. क्र. 3-अ-82-2010-11.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है, राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 "अ" के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होते हैं:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	सिरोंज	इमलानी	0.343	भू-अर्जन अधिकारी सिरोंज	लोक निर्माण विभाग अंतर्गत
		चुनियाखोह	0.139		इमलानी से ऐंचदा मार्ग के
		कांकरखेड़ी	3.844		निर्माण हेतु.

योग . . . 4.326

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय, विदिशा में किया जा सकता है.

विदिशा, दिनांक 17 अगस्त 2011

प्र. क्र. -अ-82.—चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिए प्रयोजन के लिये आवश्यक है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन के द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	बासौदा	हरगनाखेड़ी	7.907	भू-अर्जन अधिकारी बासौदा.	सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना
		शिवरामपुर	4.711	भू-अर्जन अधिकारी बासौदा.	नहर निर्माण हेतु.
		मलकपुर	7.416	भू-अर्जन अधिकारी बासौदा.	सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना
		आटस	7.749	भू-अर्जन अधिकारी बासौदा.	नहर निर्माण हेतु.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है:—सगड़ मध्यम सिंचाई परियोजना का नहर निर्माण कार्य हेतु.
 (3) भूमि के नक्शे/प्लान का निरीक्षण कार्यालय भू-अर्जन अधिकारी, बासौदा में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 12 अगस्त 2011

प्र. क्र. 14-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	निवाड़ी	देवरा खेरा	12.800	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(3) ग्राम देवरा खेरा की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 15-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा (4) की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	निवाड़ी	टीला	6.400	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(3) ग्राम टीला की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 16-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में

उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	निवाड़ी	पोहा भाटा	18.328	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.
- (3) ग्राम पाहाभाटा की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 17-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	निवाड़ी	विहारीपुरा	9.600	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.
- (3) ग्राम विहारीपुरा की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 18-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	निवाड़ी	पोहा खास	13.144	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.
- (3) ग्राम पोहा खास की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 19-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	निवाड़ी	कुलुवा खास	4.429	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—वरूवानाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(3) ग्राम कुलुवा खास की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 20-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	निवाड़ी	नयाखेरा	6.592	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—वरूवानाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(3) ग्राम नयाखेरा की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 21-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	निवाड़ी	निवाड़ी खास	24.688	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—वरूवानाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(3) ग्राम निवाड़ी खास की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 22-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	निवाड़ी	कुलुवा भाटा	4.501	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(3) ग्राम कुलुवा भाटा की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 23-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	निवाड़ी	कैना	13.600	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(3) ग्राम कैना की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

प्र. क्र. 24-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
टीकमगढ़	निवाड़ी	निवाड़ी भाटा	28.880	अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) निवाड़ी.	वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—वरूआनाला तालाब योजना की नहरों के निर्माण हेतु.

(3) ग्राम निवाड़ीभाटा की भूमि के अर्जन से संबंधित भूमि के नक्शा का विवरण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), निवाड़ी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 16 अगस्त 2011

क्र. 1229-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) में द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चन्दला	परसनियां	1.980	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौंडी.	सिंहपुर बैराज परियोजना की ब्रान्च कैनाल वितरक नहर हेतु भूमि का अर्जन.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंहपुर बैराज परियोजना की ब्रान्च कैनाल वितरक नहर हेतु भूमि का अर्जन.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, कार्यालय लौंडी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 16 अगस्त 2011

क्र. 1010-भू-अर्जन-देपालपुर-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उक्त अधिनियम की धारा 5अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17(1)(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4(2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	देपालपुर	उजालिया	0.194	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, इंदौर.	ग्राम उजालिया के समीप गंभीर नदी पर पुल निर्माण के पहुंच मार्ग के निर्माण बावद.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेंद्रसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्र. 1162-भू-अर्जन-भू-अर्जन प्र. क्र. अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि उससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	इशकपुर खेडी	0.521	कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद.	ओंकारेश्वर परियोजना की दायीं तट नहर प्रणाली चरण-III की वितरण/लघु/उप नहरें एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि आवश्यकता है—ओंकारेश्वर परियोजना की दायीं तट नहर प्रणाली के चरण-III की वितरण/लघु/उप नहरें एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि का अधिग्रहण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, धार, भू-अर्जन अधिकार, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, ओ. एस. पी. नहर संभाग, धामनोद के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 1174-वाचक-प्र. क्र.-अ-82-2011-2012—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	कल्याणपुरा (पूरक) प. ह. नं. 36/106	0.170	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 30, मनावर.	ओंकारेश्वर परियोजना की मुख्य नहर की आर. डी. 116530 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 11 की आर. डी. 1470 से निकलने वाली 2 आर. माईनर आर. डी. 780 से 4950 मी. तक के निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

क्र. 1179-वाचक-प्र. क्र.-अ-82-2010-2011—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धार	मनावर	खेड़ीहवेली (पूरक प्रकरण) प. ह. नं. 61	0.920	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास सं. क्र. 30 मनावर.	ओंकारेश्वर परियोजना की आर. डी. 132605 मी. से 133285 मी. तक मुख्य नहर तथा डायरेक्ट माईनर क्र. 67 एवं 68 के निर्माण से प्रभावित होने वाली भूमि हेतु.

नोट.— भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी, सरदार सरोवर परियोजना, मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्रमांक 30, मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र.-क-वाचन-भू-अर्जन-2011.-प्रकरण क्रमांक अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दर्शाये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) के उल्लेखित अधिकारी को उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग में करने के लिये प्राधिकृत करती है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बुरहानपुर	बुरहानपुर	रईपुरा	7.96	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर.	बनिया नाला तालाब निर्माण हेतु.
बुरहानपुर	बुरहानपुर	फतेपुर	2.74	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बुरहानपुर.	बनिया नाला तालाब निर्माण हेतु.
सकल योग					
10.70					

नोट.— अर्जन की जाने वाली भूमि से संबंधित नक्शा, प्लान कलेक्टर कार्यालय एवं भू-अर्जन अधिकारी, बुरहानपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेनु पन्त, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र. 1285-भू-अर्जन-2011-12-रीवा.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	उसरहा कोठार (रामस्थान)	0.108	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर, संभाग क्र. 2 सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आनेवाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि-अर्जन हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 1287-भू-अर्जन-2011-12-रीवा.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये, सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके धारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, उक्त अधिनियम की धारा 5 अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	रघुराजनगर	खम्हरिया पयासियान	0.13	कार्यपालन यंत्री, पुरवा नहर, संभाग क्र. 2 सतना.	बाणसागर परियोजना पुरवा नहर में आनेवाली निजी/ शासकीय भूमि पर स्थिति भूमि-अर्जन हेतु.

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण प्रशासक, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. बी. श्रीवास्तव, प्रशासक, एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र. 12925-भू-अर्जन-2011-नरसिंहगढ़.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की उपधारा 4 के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित

व्यक्तियों को, इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	रूगनाथपुरा	0.563	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ (म. प्र.).	मोतीपुरा तालाब अंतर्गत स्पिल चैनल कार्य हेतु भूमि.

नोट.—भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. बी. ओझा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दासौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मन्दासौर दिनांक 20 अगस्त 2011

प्र. क्र. 08-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मन्दासौर	गरोठ	बासगोन	0.96	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, गांधीसागर.	बासगोन तालाब योजना (पूरक प्रकरण)

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, गरोठ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मन्दासौर दिनांक 26 अगस्त 2011

प्र. क्र. 4-अ-82-10-11-क्र. 118.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी

को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मंदसौर	मल्हारगढ़	मगराना	23.22	कार्यपालन यंत्री,	रतन पिपल्या तालाब एवं
		रतन पिपल्या	2.252	जल संसाधन संभाग,	नहर निर्माण हेतु.
		सुथार बोलिया	1.19	मंदसौर.	
योग . .			<u>26.662</u>		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, मल्हारगढ़ एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मंदसौर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
महेन्द्र ज्ञानी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 25 अगस्त 2011

क्र. 4224-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 6-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन का
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	ताल	1. खराबड़ी	34.69	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.	बरखेड़ा खुर्द तालाब योजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
		2. खेजडिया गुजरान	0.23		
	आलोट	1. चारखेड़ी	10.40		
योग . .			<u>45.32</u>		

भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, आलोट के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 4226-भू-अर्जन-2011-प्र. क्र. 7-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को

उक्त भूमि के संबंध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रतलाम	जावरा	1. पेलादड़ी	37.01	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रतलाम.	पेलादड़ी तालाब योजना के अंतर्गत डूब से प्रभावित निजी भूमि का अर्जन.
		2. देहरी	2.20		
योग . .			39.21		

भूमि का नक्शा व प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी भू-अर्जन अधिकारी उपखण्ड, जावरा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र शर्मा, कलेक्टर, एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 25 अगस्त 2011

क्र. 304-11-12-प्र. क्र. 01-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) से (6) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन						धारा 4 की उपधारा 2 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा हेक्टेर में	अर्जित किया गया रकबा		
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)	(6)
रायसेन	सिलवानी	सेमराखास	156	3.052	3.052	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायसेन.	बांध के डूब क्षेत्र हेतु
			157	2.140	0.500		
			139/3/1	0.919	0.919		
			318/154	0.460	0.460		
			155	0.551	0.551		
			319/155/1/1	2.023	2.023		
			319/155/2/1	4.375	4.375		
			139/2				
			319/155/2/2	2.023	2.023		
			139/2				

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			136	1.882	1.882	
			138	1.594	1.594	
			134	0.121	0.121	
			129/1, 131	1.842	1.842	
			129/2, 131	1.841	1.841	
			130	0.425	0.425	
			132/1/1	0.809	0.809	
			132/1/2/1	0.551	0.551	
			132/1/2/2	0.551	0.551	
			132/1/2/3	0.202	0.202	
			132/1/2/4	0.162	0.162	
			132/1/2/5	0.162	0.162	
			132/1/2/6	0.121	0.121	
			132/1/2/7	0.162	0.162	
			132/2	2.725	2.725	
			128/1	0.725	0.725	
			128/2	0.384	0.384	
			126	1.156	1.156	
			127	0.611	0.611	
			123/1	0.396	0.396	
			123/2	0.397	0.397	
			122	1.028	1.028	
			119	0.295	0.295	
			291/10	1.477	1.477	
			292/9/1	0.482	0.482	
			292/9/2	0.036	0.036	
			293/9	0.534	0.534	
			294/9	1.400	1.400	
			295/9	1.100	1.100	
			296/9	1.234	1.234	
			298/9	0.421	0.421	
			297/9	1.356	1.356	
			299/9	1.011	1.011	
			9/2	1.307	1.307	

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			9/3, 8/5	0.802	0.400	
			9/6	0.890	0.400	
			139/3/2	0.809	0.809	
रायसेन	सिलवानी	जामनपानी	40	0.704	0.704	
			41	0.615	0.200	
			46	1.323	0.323	
			43	0.841	0.150	
			212/34	0.526	0.526	
			213/37	0.531	0.531	
			34	1.003	1.003	
			37	0.646	0.646	
			38	0.890	0.890	
			39	2.667	1.330	
			31	3.023	3.023	
			32	1.996	1.996	
			33	4.338	4.338	
			207/89	0.324	0.324	
			51	0.644	0.300	
			52, 28/2/1	4.047	3.023	
			214/52			
			28/1	2.039	2.039	
			26	1.032	1.032	
			27	0.854	0.854	
			29	1.538	1.538	
			23	1.951	1.951	
			24,25	1.570	1.570	
			208/30	0.486	0.486	
			209/30	1.153	1.153	
			210/30	0.607	0.607	
			211/30	1.092	1.092	
			52, 28/2/2	4.763	3.027	
			214/52			
			योग . .	<u>87.747</u>	<u>78.668</u>	

भूमि का नक्शा कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, रायसेन के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 25 अगस्त 2011

भू-अर्जन-प्र.क्र. 10-पत्र क्र. 928-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	बेरमा	0.244	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. प्रा. संभाग क्रमांक 07, सतना.	नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. 10-पत्र क्र. 929-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	मानपुर	0.379	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. प्रा. संभाग क्रमांक 07, सतना.	नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र. एफ. 10-पत्र क्र. 930-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5)

में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	गहवरा	0.008	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. प्रा. संभाग क्रमांक 07, सतना.	नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र.क्र.एफ. 10-पत्र क्र. 931-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	ग्राम	अर्जनीय रकबा (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सतना	मैहर	जीतनगर	0.145	कार्यपालन यंत्री, न.घा.वि. प्रा. संभाग क्रमांक 07, सतना.	नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुखबीर सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 26 अगस्त 2011

क्र. 484-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र.-04-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी

संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	टोंकखुर्द	मोहम्मदखेड़ा	9.83	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, देवास.	जनोली तालाब योजना के अंतर्गत डूब में ग्राम मोहम्मदखेड़ा की निजी भूमि हेतु अर्जित की जाने से.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ में देखा जा सकता है.

क्र. 490-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र.-05-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का कारण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
देवास	टोंकखुर्द	बिजेपुर-सेकली	9.87	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग संभाग, देवास.	जनोली तालाब योजना के अंतर्गत डूब में ग्राम बिजेपुर-सेकली की निजी भूमि हेतु अर्जित की जाने से.

नोट.— भूमि के नक्शे (प्लान) कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास एवं कार्यालय, भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेशचन्द्र गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अगस्त 2011

प्र. क्र. 15-भू.अ.-ए-82-10-11-सात-1.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी		सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन	
जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ग्राम का नाम	लगभग क्षेत्रफल नंबर अर्जित/ किया जाने वाले हैं	खसरा नं.	रकबा (हेक्टर में)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
भोपाल	बैरसिया/भोपाल	भैसखेड़ा	63/1/2	0.607	कार्यपालन यंत्री, सम्राट अशोक सागर संभाग क्र. 2, विदिशा.	सम्राट अशोक सागर जलाशय का जलस्तर 1504 फिट से 1508 फिट बढ़ाने हेतु.
			63/1/1	0.607		
			50/2	0.793		
			39/2	0.202		
			470/399/2	0.243		
			401/7	0.429		
			401/2	0.542		
			33/1/2	0.405		
			191	0.760		
			62/1/2	0.057		
			62/2	1.012		
			70/1	0.809		
			59/2	2.382		
			57/1	1.927		
			59/1	2.382		
			199/1/1	0.612		
			41/2	0.628		
			35, 40/2/2	2.172		
			77/1	1.619		
			75/1	1.619		
			457/417/3	0.303		
			25/1/2	0.607		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			194/1	1.619	
			197/1/1	0.660	
			197/1/2	0.659	
			305/2/1	0.196	
			305/2/2	2.023	
			306/1	3.521	
			282/2	0.929	
			305/1/1	0.529	
			283/1/1	0.241	
			283/1/2	0.506	
			421/2/1	1.295	
			421/2/2	1.619	
			421/2/3	1.760	
			457/417/2	0.445	
			25/3, 26/2	0.510	
			27/2	0.304	
			73/2	1.136	
			62/1/1	2.630	
			278	0.717	
			262	1.350	
			403/1	3.649	
			202/1	0.405	
			401/10	0.809	
			401/5	0.643	
			199/1/2	0.294	
			307/1	0.405	
			203/1	0.405	
			456/417/1	0.607	
			456/417/2	0.202	
			27/2	0.304	
			44/2/1	0.951	
			44/2/2	0.951	
			421/1	1.501	
			47/1/1	1.981	
			47/1/2	1.981	
			285	2.566	
			270/2	1.219	
			419/4	0.178	
			419/7	0.587	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			417/1/1क	0.343	
			420/1/1	0.262	
			486/260/2	1.703	
			20	0.938	
			23	0.890	
			419/3	0.174	
			419/8	0.587	
			419/6	0.178	
			419/9	0.534	
			419/2	0.202	
			401/3	0.429	
			401/8	0.539	
			419/5	0.178	
			419/10	0.587	
			401/6	0.539	
			401/1	0.429	
			283/1/3	0.405	
			471/305/283	1.453	
			305/1/2	0.929	
			282/1	1.169	
			401/9	0.809	
			401/4	0.643	
			73/1	1.142	
			60	1.206	
			457/417/1	0.164	
			417/1/1ख	0.344	
			417/1/2/2	0.405	
			420/1/2	0.263	
			419/1	0.202	
			417/1/2/1	0.486	
			420/2	0.321	
			424/5	2.280	
			424/4	2.140	
			424/1/1	1.619	
			424/3/1		
			424/3/3	1.376	
			कुल योग . . .	88.872	

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तहसील बैरसिया जिला भोपाल के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रायसेन, दिनांक 27 अगस्त 2011

क्र. 348-भू-अर्जन-2011-संशोधित अधिसूचना.— इस कार्यालय द्वारा क्रमांक 01-अ-82-बेरखेड़ी-10-11. बेरखेड़ी जलाशय हेतु भू-अर्जन अधिकारी गैरतगंज में दिनांक 17 जून 2011 को भू-अर्जन की अधिनियम की धारा 4 की अधिसूचना का प्रकाशन कराने हेतु प्रारूप भेजा गया था. कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना प्रारूप में निम्न खसरा क्रमांक एवं रकबों में भिन्नता पायी गयी है. इस कारण धारा 4 की संशोधित अधिसूचना अनुसूची अनुसार प्रकाशित की जानी है. चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम 1894 (क्रमांक एक 1894) की धारा 4 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची
भूमि का विवरण
ग्राम-बेरखेड़ी, तह. गैरतगंज
प. ह. नं. 15

जारी अधिसूचना अनुसार प्रकाशित किये जाने वाले खसरा क्रमांक एवं रकबा			स्वदेश दिनांक 27 जून 2011 एवं सांची परिक्रमा में दिनांक 28 जून 2011 में प्रकाशित किये गये खसरा क्रमांक एवं उनका रकबा			संशोधित जो प्रकाशित होना है		
खसरा क्रमांक	कुल रकबा	अर्जित रकबा	खसरा क्रमांक	कुल रकबा	अर्जित रकबा	खसरा क्रमांक	कुल रकबा	अर्जित रकबा
46/5	1.999	1.594	46/5	1.999	1.594	46/5	1.999	1.594
124/2	1.218	1.220	124/2	1.218	1.220	124/2	1.218	1.218
44/2/3/2/2	1.273	0.809	44/2/3/2/2	1.273	0.809	44/2/3/2/2	1.272	0.809
44/2/3/2/1	0.405	0.405	44/2/3/2/1	0.405	0.405	44/2/3/2/1	0.404	0.404
46/2	1.821	1.619	46/2	1.821	1.619	46/2	1.821	0.809
48/2/5/1	0.486	0.267	48/2/5/1	0.486	0.267	48/2/5/1	0.486	0.202
48/2/5/2	0.971	0.534	48/2/5/2	0.971	0.535	48/2/5/2	0.971	0.405
48/2/5/3	0.971	0.534	48/2/5/3	0.971	0.534	48/2/5/3	0.971	0.405
48/2/9/1	1.823	1.823	48/2/9/1	1.823	1.823	48/2/9/1	1.821	1.821
50/2	0.848	0.202	50/2	0.848	0.202	50/2	0.841	0.202
116/2/2	5.754	1.700	116/2/2	5.754	1.700	116/2/2	5.754	2.792
48/3	0.085	0.085	48/3	0.085	0.085	विलोपित	-	-
48/2/2/2	1.214	0.202	48/2/2/2	1.214	0.202	विलोपित	-	-
कुल योग . .		60.048	कुल योग . .		60.048	कुल योग . .		64.480

- नोट.— (1) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.—बेरखेड़ी तालाब निर्माण हेतु.
(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, गैरतगंज के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मोहन लाल मीणा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

धार, दिनांक 27 जुलाई 2011

क्र. 1010-भू-अर्जन-औ.एस.पी.-2011-संशोधित उद्घोषणा-भू-अर्जन प्र. क्र. 9-अ-82-10-11.—कार्यालय पत्र क्रमांक 603-वाचक-प्र.क्र. 09अ-82-10-11 धार, दिनांक 3 मई 2011 ग्राम मांडवी, तहसील मनावर, जिला धार का रकबा 2.492 हेक्टेयर के भू-अर्जन प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम 1894 (सन् 1894 क्रमांक-एक) की धारा 6 के अंतर्गत जारी उद्घोषणा के प्रयोजन औंकारेश्वर नहर परियोजना अंतर्गत नहर निर्माण से प्रभावित का प्रकाशन, मध्यप्रदेश राजपत्र भाग एक पृष्ठ क्रमांक 1636 पर दिनांक 13 मई 2011 के अंक तथा दो समाचार पत्रों क्रमशः आवंतिका दिनांक 13 मई 2011 के अंक में तथा पत्रिका दिनांक 13 मई 2011 के अंक में प्रकाशन हुआ है. जिनका जी नंबर 13085/11 है. जिसके स्थान पर निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे.

ग्राम मांडवी

पूर्व में प्रकाशित		संशोधित प्रविष्टि	
खसरा नं.	रकबा हे. में	खसरा नं.	रकबा हे. में
74/1ख	0.200 हे.	74/1ख/3	0.200 हे.

शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी.

धार, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्र. 8510-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—माधवपुर
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.500 हेक्टेयर.

सर्वे नं. निजी	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
210/4	0.500
योग : 0.500	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—ऑटो टेस्टिंग ट्रेक की स्थापना से प्रभावित होने से.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर, जिला धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. 8515-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—धार
(ग) ग्राम—कल्याणसीखेड़ी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.427 हेक्टेयर.

सर्वे नं. निजी	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
54/3/2	0.115
55	0.387
56	0.700
69	0.366
94/1	0.271
94/2	0.147
106/1	0.073
107/1	0.305
108/1	0.063

योग : 2.427

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ऑटो टेस्टिंग ट्रेक की स्थापना हेतु पहुंच मार्ग निर्माण से प्रभावित होने से.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, धार तथा महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, पीथमपुर, जिला धार (म. प्र.) के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

धार, दिनांक 18 अगस्त 2011

क्र. 1169-वाचक-प्र.क्र.-अ-82-2010-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—धार
(ख) तहसील—मनावर
(ग) ग्राम—जोतपुर (पूरक)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.512 हेक्टेयर.

सर्वे नं. निजी	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
117/2	0.512
	योग : <u>0.512</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—औंकारेश्वर परियोजना का मुख्य नहर की आर. डी. 130375 मी. से निकलने वाली डिस्ट्रीब्यूटरी क्र. 14 के बीच नहर निर्माण हेतु.
- (3) भू-अर्जन की धारा 6 के अंतर्गत अर्जन कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाता है.
- (4) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर जिला धार एवं भू-अर्जन अधिकारी सरदार सरोवर परियोजना मनावर एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 मनावर, जिला धार के कार्यालय में कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एम. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 5 अगस्त 2011

प्र. क्र. अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—विदिशा
(ख) तहसील—सिरोंज
(ग) ग्राम—प्यासी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.253 हेक्टेयर.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
58	0.253
	योग : <u>0.253</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—ग्राम प्यासी में लोक निर्माण विभाग अन्तर्गत अनूपपुर महाराजखेड़ी चौराहा से चौपना प्यासी-झण्डवा मार्ग के निर्माण हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी सिरोंज के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. बी. सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 10 अगस्त 2011

क्र. 1251-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर के पत्र क्रमांक 112-05-कोर्ट-11, इन्दौर, दिनांक 28 जनवरी 2011 से अधिनियम की धारा 17(1) सह 17(4) की अर्जेन्सी क्लोज की अनुमति प्राप्त है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन

- (ख) तहसील—महेश्वर
 (ग) ग्राम—भट्टयाण बुजूर्ग (पुनर्वास हेतु)
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—34.603 हेक्टेयर.

खसरा नं. अर्जनीय क्षेत्रफल
 (हेक्टेयर में)

(1)	(2)
588/1	1.527
588/2	2.152
588/3	2.363
588/4	1.222
589/1	1.922
595	0.769
596/1	1.327
596/2	2.703
596/3	2.088
597	2.711
598	3.238
600	0.611
601/1	1.416
601/2	1.416
602	1.546
604/1	1.436
604/2	0.567
605/1	0.732
605/2	4.857

योग : 34.603

भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
 (ख) तहसील—कसरावद
 (ग) ग्राम—जलखां
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—14.628 हेक्टेयर.

खसरा नं. रकबा (हे. में)
 (1) (2)

5/1	0.040
5/2	0.263
6/1	0.162
8	0.081
9/1	0.253
11/1	0.324
11/2	0.243
12/1	0.020
13/1	0.182
13/4	0.040
18/4	0.081
19	0.081
22	0.344
24	0.750
26/1	0.121
26/2	0.250
26/3	0.320
26/4	0.460
26/5	0.620
26/6	0.780
26/7	0.390
26/8	0.243
26/9	0.953
28/6	0.024
28/7	0.040
28/8	0.010
33	0.971
39	0.547
70/1/2	0.080

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—महेश्वर जल विद्युत् परियोजना से डूब प्रभावित ग्राम भट्टयाण बुजूर्ग के पुनर्बसाहट हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) 1-कलेक्टर, जिला खरगोन, 2-भू-अर्जन अधिकारी महेश्वर जल विद्युत् परियोजना मण्डलेश्वर, मुख्यालय, खरगोन, 3-कार्यपालन अभियंता (सिविल) महेश्वर जल विद्युत् परियोजना/म.प्र.रा.वि.मं. मण्डलेश्वर, 4-महाप्रबंधक, श्री महेश्वर हायडल पॉवर कार्पोरेशन लिमि. मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.

खरगोन, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्र. 1269-भू-अर्जन-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित

(1)	(2)	कार्यालय, कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
70/3	0.008	
70/4	0.126	
70/5	0.227	शाजापुर, दिनांक 10 अगस्त 2011
70/6	0.392	
70/7/1	0.175	प्र. क्र. 235-भू-अर्जन-प्र. क्र. 01-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. भू-अर्जन की अतिआवश्यकता की घोषणा के संबंध में आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के पत्र क्रमांक 4304-एफ-47-11-री-1, उज्जैन, दिनांक 31 मई 2011 से अधिनियम की धारा 17(1) से 17(4) की अर्जेन्सी क्लाज की अनुमति प्राप्त है :-
70/8	0.121	
70/9/1	0.040	
70/9/2	0.040	
70/10	0.050	
70/11	0.008	
110/1	0.405	
112	0.121	
114/1	0.223	
115/6	0.041	
127/1	0.020	
129/1	0.284	
174/1	0.365	
312	0.215	
313/1	0.164	
313/2	0.405	
314/1	0.020	
314/2/1	0.065	
314/2/2	0.061	
314/3	0.243	
338/6	0.506	
343/5	0.405	
343/8	0.008	
346	1.217	
	योग : 14.628	
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.		खसरा नं. रकबा (हे. में)
		(1) (2)
		63 0.02
		67 0.25
		725 0.41
		732 0.48
		733 2.65
		739 0.49
		740/1 0.48
		810 0.27
		825 0.25
		68 0.43
		69 1.25
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.		742 0.83
		773 0.40
		782 0.41
		823 0.12
		70 0.36
		100 0.01
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		155 0.28

(1)	(2)	(1)	(2)
252	0.13	76	0.06
728	0.59	79	0.13
734	0.06	192	0.35
744	0.08	193/1	0.05
745	0.31	719/2	0.57
746	0.33	722/1	0.48
754	0.51	722/2	0.20
772	0.37	724/1	0.12
71	1.95	724/2	0.13
103	0.15	201	0.43
105	0.06	206/2	0.20
112	0.07	212/1	0.03
133	0.50	77	0.13
137	0.13	193/2	0.04
143	0.07	195	0.09
150	0.21	209	0.18
153	0.28	78	0.13
157	0.28	815/3	0.40
160	0.51	80	0.17
245	0.19	190	0.34
251	0.11	81	0.17
256	0.09	191	0.35
721	0.25	82	0.49
731/1	0.38	83	0.25
750	1.00	85	0.41
764	0.12	87/1	0.36
770	0.90	87/2	0.35
798	0.07	88	0.24
803	0.46	89	0.24
824	0.12	90	0.20
749	0.39	170	0.03
72	0.04	91	0.20
73	0.04	92	1.38
84	0.80	794	0.22
74	0.04	802	1.39
86	0.23	899	0.92
210	0.18	901	0.67
75	0.06	135	0.26
169	0.46	788मी	2.32
202	0.04	800	0.71

(1)	(2)	(1)	(2)
822	0.91	1830	1.11
826	0.54	1832	0.47
93/1	0.50	1834	1.16
188	0.06	1915	0.10
93/2	0.50	1835	1.54
101	0.13	1836/1	0.02
106	0.06	104	0.15
115	0.06	108	0.05
131	0.50	114	0.06
138	0.13	132	0.50
142	0.21	139	0.13
149	0.21	140	0.70
244	0.34	145	0.28
254	0.12	148	0.22
255	0.23	164	0.39
735	0.07	753	0.44
796	0.07	771	0.31
751	0.75	779	0.12
765	0.12	785	0.46
769	0.59	797	0.07
790	0.07	109	0.80
804	0.46	113	0.02
102	0.14	119	0.75
107	0.05	120	0.24
111	0.07	128	0.54
134	0.50	788 मी	2.20
146	0.51	154	0.85
147	0.22	136/1	0.40
152	0.13	141	0.42
243	0.34	159	1.20
748	0.22	161/1	0.21
752	0.50	162	0.98
161/2	1.45	163	0.60
774	0.59	755	0.40
778	0.12	758/2	0.33
786	0.46	158/2	0.40
793	0.07	736/1	0.15
799	0.07	757/1	0.15
741	0.22	144	0.01
1819	0.30	759	0.11

(1)	(2)	(1)	(2)
767	0.28	180	0.18
757/2	0.16	194	0.09
760	0.11	181/1	0.71
766/1	0.35	181/2	0.71
756/2	0.12	906/1	0.47
151	0.28	915/1	3.51
156	0.28	955/1	0.95
250	0.13	916/1	0.26
775	0.73	1804/1	0.25
783	0.41	1810	0.62
730/1	0.39	1811	1.48
731/2	0.20	917	0.39
743	0.39	918	0.83
738	0.51	182/2	0.13
165/1	0.82	183	0.07
165/2	0.08	184	0.08
166	0.26	185	0.09
167	0.08	186	0.10
168	0.26	187	0.13
174	0.52	189	0.08
171	0.03	237/3	0.13
172	0.66	206/1	0.12
205	0.24	207	0.21
173	0.23	208	0.02
519	0.03	211	0.24
522	0.03	376	0.11
200	0.39	488	0.05
176	0.10	487	0.05
177/1	0.23	481	0.01
814/1	0.31	486	0.06
815/2	0.51	492/1/2	0.06
204	0.12	515	0.31
177/2	0.23	520	0.03
237/2	0.08	524	0.06
718/2	0.52	526	0.21
814/2	0.31	527	0.20
815/4	0.51	638/2	0.15
203	0.12	639/2	0.02
178	0.33	717	0.24
179	0.33	709	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
816	0.65	837	0.41
720	0.02	840	0.03
726	0.77	838	0.64
776	0.99	853	1.44
780	1.10	2083/1	0.60
784	1.28	839	0.04
795	0.22	854	0.96
809	0.72	2084	1.93
747	0.97	855	0.36
805	0.28	857	0.27
818	0.88	867	0.52
737	0.09	871	0.62
729/1	0.24	858	0.58
730/2	0.20	866	0.21
729/2	0.30	870	0.52
740/2	0.18	831	1.15
729/3	0.05	835	0.59
736	1.27	859	0.69
756/1	0.12	863/2	0.65
787	0.90	864/2	0.65
789	0.22	860	1.25
761	0.11	861	0.31
762	0.11	868	0.66
781	1.10	886/1	2.67
821	0.63	862	0.31
801/1	0.71	869	3.12
801/4	0.28	863/1	0.45
808	0.08	872	1.80
777	0.99	864/1	0.45
136/2	0.45	865	1.87
813	1.28	907	3.73
820	0.95	908	3.73
801/2	0.69	915/2	0.30
806	0.98	911	0.09
812	0.21	913	0.09
827	0.31	914	0.42
819	0.80	916/2	0.25
830	0.44	935	1.58
834	0.70	937	0.88
832	1.08	952	0.07

(1)	(2)	(1)	(2)
1807	0.41	892	2.17
1809	2.10	1827	0.32
906/2	0.46	926	0.89
912	0.09	930	0.33
946	0.48	893	0.07
949	0.07	894/1	0.57
950/2	0.21	900/1	0.78
947	0.48	1817	0.43
873	0.62	1814	0.31
874/1	0.52	894/2	0.58
886/2/1	0.07	900/2	0.25
886/3/1	0.04	1824	0.80
885/2	0.48	1822	0.21
874/2	0.52	895	2.18
886/2/4	0.08	928	0.39
886/3/4	0.04	932	0.34
885/1	0.85	933	0.50
874/3	0.52	1825	0.32
885/4	0.48	896	0.04
886/2/3	0.08	1837	0.12
886/3/3	0.03	897	2.26
874/4	0.53	927	0.89
886/3/2	0.04	931	0.33
885/3	0.47	1826	0.32
886/2/2	0.07	898	0.57
875	1.06	902	1.20
877	2.03	1823	0.21
878	0.80	1812/2	0.50
879	0.80	904	0.40
882	0.92	905	1.24
887	4.38	2094	0.23
883	3.35	906/4	2.43
884	1.09	941	5.42
888	0.55	1821	0.48
889	4.98	919/1	0.03
890	0.13	919/2मी	0.20
891	2.06	950/3	0.24
929	0.34	920	0.15
925	0.89	921	0.72
1828	0.33	924	1.10

(1)	(2)	(1)	(2)
922	0.96	1044	0.20
923	0.02	1050	0.43
934	0.05	2090	0.35
938	4.08	2092/2	0.29
939	0.64	2088	1.17
942	0.63	788मी	0.66
1816	0.31	791	0.07
936	2.43	732	0.07
943	1.31	723	0.05
945/1	0.47	815/1	0.12
945/2	0.05	815/5	1.40
1806	0.13	763/2	0.26
1808	0.43	766/2	0.60
951	0.24	756/3	0.24
953	0.89	836	0.87
906/3	0.47	1042	0.30
944	0.77	2087/2	1.23
950/1	0.45	727	0.41
948	0.29	811	0.27
954	1.50	2091/1	0.07
1803/2	0.04	489	0.05
1804/3	0.10	1815	1.61
2085	0.81	2082	1.05
2086	0.57	521	0.03
1831/1	0.47	523	0.03
1803/2111	0.18	492/1/1	0.36
2083/2	0.08	2096/2	0.22
2087/1	0.25	158/1	0.25
1804/2	0.16	768	0.58
1812/1	3.29	801/3	0.99
2093	3.41	807	0.63
1813	0.32	180/2107	0.23
1818	0.42	88/2106	0.24
1820	0.21	175	0.40
941/2110	0.20	716	0.03
2092/1	0.19	1831/2	0.25
2095	0.49	919/2 मी	0.40
2096/1	0.23	98/2	0.23
1845	0.29	1833	0.22
1836/2	0.03		
1846	0.22		
		योग :	<u>263.22</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—कछाल तालाब परियोजना के अन्तर्गत बांध निर्माण क्षेत्र, डूब क्षेत्र, स्पील एवं एप्रोच चैनल, डिस्पोजल एरिया हेतु.	(1)	(2)
	361/3	0.03
	361/4	0.07
	362/1	0.09
नोट:— भूमि का नक्शा (प्लान), का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग आगर, बड़ौदा के कार्यालय में किया जा सकता है.	362/2	0.08
	377/2	0.05
	378	0.16
	379	0.08
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शेखर वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.	380	0.46
	381	0.05
	394	0.05
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	543	0.12
	544	0.21
	545	0.02
सागर, दिनांक 11 अगस्त 2011	546/1	0.10
	546/2	0.04
क्र. क 6553-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र.-अ-82-10-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-	546/3	0.03
	546/4	0.07
	549	0.07
	554/1	0.02
		योग : 3.40

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सागर
(ख) तहसील—शाहगढ़
(ग) ग्राम—ततरवारा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—3.40 हे.

खसरा नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
319	0.08
320/1	0.10
320/2	0.45
321	0.05
335	0.40
336	0.06
337	0.15
340	0.05
359	0.20
361/1	0.03
361/2	0.03

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है—बीला फीडर नहर निर्माण हेतु, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बण्डा एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 2, सागर जिला सागर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 12 अगस्त 2011

क्र. 1272-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक

प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सीधी
(ख) तहसील—रामपुर नैकिन
(ग) ग्राम—भैंसरहा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.527 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टे. में)
(1)	(2)
1861	0.043
1862	0.075
1878	0.009
1879	0.019
1881	0.010
1882	0.008
1883	0.040
1885	0.030
1886	0.008
1887	0.017
1889	0.060
1890	0.132
1891	0.060
1892	0.016
योग :	<u>0.527</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है.—बाणसागर परियोजना के अन्तर्गत शिकारगंज वितरक नहर क्र. 2 का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्तियों के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान)का निरीक्षण प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.बी. श्रीवास्तव, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 17 अगस्त 2011

क्र. 446-भू-अर्जन-2011-प्र.क्र.-3-अ-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन हेतु आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

- (क) जिला—देवास
(ख) तहसील—सोनकच्छ
(ग) ग्राम—पीपलरावां
(घ) लगभग क्षेत्रफल—2.090 हेक्टर

सर्वे नं.	प्रभावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
2563/3	2.090

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.—ग्राम पीपलरावां, तहसील सोनकच्छ में उपमण्डी की स्थापना के लिये भूमि अधिग्रहण होने से.
- (3) भूमि के नक्शे का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, सोनकच्छ के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश चन्द्र गुप्ता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

टीकमगढ़, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र. भू-अर्जन-2011-प्र.क्र.-01-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस कार्यालय के अधिसूचना क्र. भू-अर्जन/2011/प्रकरण क्र. 1/2011-12/दिनांक

18-5-2011 में संशोधन करते हुए भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

(ग) नगर/ग्राम—बंजारीपुरा खास
पटवारी हल्का नं. 60.
(घ) लगभग क्षेत्रफल—28.902 हेक्टेयर.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—पृथ्वीपुर
(ग) नगर/ग्राम—पहाड़ी वख्शी, पटवारी हल्का नं. 61,
(घ) लगभग क्षेत्रफल—4.099 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
39/1048	0.845	0.845
39/2	1.538	1.538
40	0.287	0.287
41	0.882	0.882
42	0.142	0.142
43	0.405	0.405
	<u>योग 4.099</u>	<u>4.099</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता है.—बंजारी तालाब योजना.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2011-प्र.क्र.-2-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस कार्यालय के अधिसूचना क्र. भू-अर्जन/2011/प्रकरण क्र. 1/2011-12/दिनांक 18-5-2011 में संशोधन करते हुए भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
(ख) तहसील—पृथ्वीपुर

सर्वे क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
46/1627	0.486	0.486
277	0.093	0.093
278	0.085	0.085
281	0.186	0.186
282	0.166	0.166
283	0.299	0.299
284	0.186	0.186
285	0.202	0.202
286	0.032	0.032
287	0.170	0.170
591/1	0.158	0.158
290	0.109	0.109
311	0.085	0.085
313	0.097	0.097
314	0.109	0.109
315	0.097	0.097
316	0.077	0.077
344	0.781	0.781
345	1.003	0.101
346	0.210	0.210
347	0.348	0.348
348	0.121	0.121
349	0.117	0.117
350	0.065	0.065
351	0.024	0.024
353	0.089	0.089
354	0.069	0.069
355	0.320	0.320
356	0.202	0.202
357	0.142	0.142
360	0.089	0.089
361	0.162	0.162
362	0.194	0.194
363	0.057	0.057
354	0.166	0.166
365	0.183	0.183

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
366	0.186	0.186	578	0.012	0.012
367	0.154	0.154	579	0.081	0.081
368	0.219	0.219	580	0.061	0.061
369	0.146	0.146	581	0.299	0.299
370	0.134	0.134	592/1	0.32	0.32
371	0.049	0.049	593/1	0.012	0.012
372	0.040	0.040	593/2	0.012	0.012
373	0.036	0.036	597	0.344	0.172
374	0.044	0.044	598/1	0.199	0.199
375	0.057	0.057	598/2	0.101	0.101
376	0.097	0.097	599/1	0.081	0.081
379	0.841	0.841	599/2	0.040	0.040
380	0.308	0.308	600	0.040	0.040
383	0.150	0.150	601	0.255	0.255
384	0.510	0.250	602	0.186	0.186
385	0.166	0.100	610	0.170	0.170
386	0.057	0.057	635	1.360	1.160
387	0.178	0.178	638	0.146	0.146
388	0.235	0.235	640	0.073	0.073
389	0.255	0.255	641	0.081	0.081
390	0.251	0.251	813	0.522	0.125
400	0.364	0.364	814	0.146	0.146
401	0.032	0.032	815	1.068	0.225
405	0.336	0.336	816	0.081	0.081
406	0.198	0.198	818	0.341	0.341
407	0.081	0.081	819	0.057	0.057
408	0.093	0.093	820	0.008	0.008
409	0.125	0.125	858	0.024	0.024
410	0.097	0.097	861	0.040	0.040
414	0.470	0.085	4/2	0.283	0.283
415	0.077	0.077	4/3	0.089	0.089
566	0.151	0.151	5/2	0.085	0.085
567	0.028	0.028	8	0.874	0.474
568	0.125	0.125	9/2	0.202	0.202
569	0.016	0.016	9/3	0.405	0.205
571	0.028	0.028	11/1	0.134	0.134
572	0.036	0.036	11/2	0.809	0.809
573	0.263	0.263	13	0.879	0.879
574	0.004	0.004	14	0.328	0.328
575	0.032	0.032	15	0.040	0.040
576	0.321	0.321	16	0.053	0.053
577	0.028	0.028	17	0.186	0.186

(1)	(2)	(3)
17/1564	0.089	0.089
18	0.113	0.113
19	0.336	0.336
20	0.223	0.223
21	0.721	0.721
22	0.008	0.008
23	0.081	0.081
24	0.081	0.081
25	0.016	0.016
26	0.053	0.053
27	0.020	0.020
28	0.348	0.348
28/1565	0.194	0.194
28/1566	0.045	0.045
28/1567	0.045	0.045
29	0.028	0.028
30	0.295	0.295
31	0.433	0.433
32/1	0.486	0.486
32/2	0.320	0.320
33/1	-	0.445
33/2/1	1.000	0.500
33/2/2	0.526	0.526
34/2/1	0.539	0.539
343/3	1.214	0.405
36	0.251	0.251
37	0.320	0.320
38	0.028	0.028
42	0.583	0.583
43	0.024	0.024
44	0.368	0.368
45	0.109	0.109
46	0.486	0.486
योग :		<u>28.902</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता हैं.—बंजारी तालाब योजना.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

क्र. भू-अर्जन-2011-प्र.क्र.-03-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. इस कार्यालय के अधिसूचना क्र. भू-अर्जन/2011/प्रकरण क्र. 1/2011-12/दिनांक 18 मई 2011 में संशोधन करते हुए भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक एक, सन् 1984) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—टीकमगढ़
 (ख) तहसील—पृथ्वीपुर
 (ग) नगर/ग्राम—बंजारीपुरा भाटा
 पटवारी हल्का नं. 60.
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—3.463 हेक्टेयर.

सर्वे क्रमांक	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
47	0.344	0.344
49	0.004	0.004
50	0.308	0.308
52	0.198	0.085
53	0.073	0.073
21/1	0.162	0.162
22/1	0.324	0.324
23	1.351	0.809
24	0.749	0.749
25	0.255	0.255
26	0.350	0.350
योग :	<u>4.118</u>	<u>3.463</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है.—बंजारी तालाब योजना.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी निवाड़ी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, टीकमगढ़, जिला टीकमगढ़ के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रघुराज राजेन्द्रन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्र. 3085-भू-अर्जन-2011-रा.प्र.क्र.ए-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—बेड़दा, निजी भूमि
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.37 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
368	0.37
योग : 0.37	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—बेड़दा तालाब निर्माण होने से ग्राम बेड़दा का कुल रकबा निजी भूमि 0.37 हेक्टेयर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

झाबुआ, दिनांक 24 अगस्त 2011

क्र. 3122-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—सामली (पनास तालाब), निजी भूमि

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.62 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अधिकृत किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
2	0.42
91	0.20
योग : 0.62	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ग्राम पनास तालाब के निर्माण होने से ग्राम सामली का कुल रकबा निजी भूमि 0.62 हेक्टेयर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 3124-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—बनी (पनास तालाब), निजी भूमि
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.85 हेक्टेयर.

सर्वे नं.	अधिकृत किया जाने वाला क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
1308	0.65
1345	0.10
1346	0.10
योग : 0.85	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ग्राम पनास तालाब के निर्माण होने से ग्राम बनी का कुल रकबा निजी भूमि 0.85 हेक्टेयर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 3126-भू-अर्जन-2011.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित किये गये

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—पनास (पनास तालाब), निजी भूमि
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.02 हेक्टेयर.

सर्वे नं. अधिकृत किया जाने वाला
क्षेत्रफल (हे. में)

(1)	(2)
317	0.04
318	0.04
319	0.06
320	0.06
321	0.04
323	0.08
346/1	0.13
363/1	0.14
346/1	0.05
348	0.17
363/1	0.14
349	0.20
350	0.14
325	0.40
352	1.27
353	0.17
354	0.16
355	0.16
356	0.19
357	0.21
359	0.23
45	0.16
46	0.17
47	0.16
360	0.45

योग : 5.02

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—ग्राम पनास तालाब के निर्माण होने से ग्राम पनास का कुल रकबा निजी भूमि 5.02 हेक्टेयर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. 3128-भू-अर्जन-2011-रा.प्र.क्र.ए-82-2010-11.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
(ख) तहसील—पेटलावद
(ग) ग्राम—पांचपिपला (निजी भूमि)
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.56 हेक्टेयर.

सर्वे नं. रकबा (हे. में)

(1)	(2)
1303	0.36
1265	0.20
योग :	0.56

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—भूरीघाटी तालाब निर्माण होने से ग्राम पांचपिपला का कुल रकबा निजी भूमि 0.56 हेक्टेयर.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्र. 799-भू-अर्जन-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मऊगंज

(ग) ग्राम—शिवराजपुर
(घ) क्षेत्रफल लगभग —12.135 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	कुल रकबा (हेक्टेयर में)	अर्जित भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
3/21ग	0.674	0.674
3/21ख	0.674	0.674
3/21क	0.674	0.674
3/15	2.023	0.809
3/18	2.023	2.023
3/14	2.023	2.023
3/28	2.023	2.023
3/19	2.023	2.023
3/11	2.023	0.404
3/5	2.023	0.404
3/17/ख	1.012	0.404
योग . .	17.195	12.135

(ख) तहसील—चन्दला
(ग) ग्राम—कमलपुरवा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—5.106 हे.

भू-अर्जन खसरा विवरण से भू-खण्डों की संख्या	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
हरई माइनर	
80/1	0.042
81	0.143
82	0.073
83	0.150
84	0.070
260/2	0.009
261	0.016
273	0.002
594/80	0.006
योग . .	0.511

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है.— जल संसाधन सर्वेक्षण संभाग, रीवा के अन्तर्गत पिपरछत्ता तालाब योजना के बांध निर्माण एवं डूब क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एन. रूपला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 24 अगस्त 2011

प्र. क्र. 103-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छतरपुर

चंदला माइनर नं. 3

178	0.054
179	0.192
185/1	0.048
186	0.187
188/1	0.132
188/3	0.216
188/4	0.073
189	0.032
322	0.084
473/2	0.005
474/2	0.064
475/1/2	0.105
476	0.176
477	0.068
478	0.111
480/2	0.093
484/1	0.016
557/1	0.306
559	0.035
560	0.028
561/2	0.058
562/2	0.008
योग . .	2.091

(1)	(2)	(1)	(2)
बिसनाखेड़ा सबमाइनर			
490	0.019	571	0.112
493	0.072	573	0.027
494	0.097	574	0.045
495	0.024	575	0.005
510	0.265		योग . . . 1.556
511	0.105		महायोग . . . 5.106
514	0.038		
515	0.080		
517/1/1	0.057		
518	0.097		
519	0.048		
520	0.044		
523/2	0.002		
	योग . . . 0.948		

कमलपुरवा सबमाइनर	
173/2	0.002
186	0.045
187	0.002
188/2	0.176
191	0.126
300	0.002
305	0.006
306	0.020
307	0.067
308	0.016
309	0.062
314/1	0.005
315	0.086
329/2	0.061
330/2	0.121
337	0.139
338	0.053
339	0.049
440	0.048
441/2	0.019
452	0.006
453	0.016
456	0.004
457	0.005
458	0.097
459	0.096
460	0.003
464	0.035

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर से चंदला वितरक नहर की अम्हा माइनर, चंदला माइनर नं. 3, कमलपुरवा सब सबमाइनर नं. 3 के भू-अर्जन हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 104-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चन्दला
(ग) ग्राम—बिसनाखेड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—5.166 हे.

भू-अर्जन खसरा विवरण खसरे का क्षेत्रफल अर्जित से भू-खण्डों की संख्या (हेक्टेयर में)

(1) (2)

हरई माइनर

187	0.040
361	0.032
362/2	0.417
365	0.024
367	0.137
368	0.012
369	0.132
371/1	0.002
372	0.012
	योग . . . 0.808

(1)	(2)	(1)	(2)
चंदला माइनर नं. 3		585	0.040
107	0.100	586	0.003
108/1	0.079	590	0.038
109	0.255		योग . . . 0.485
450/1	0.100		महायोग . . . 5.166
450/2	0.035		
452	0.175		
549	0.079		
550	0.018		
552	0.280		
561	0.276		
562	0.112		
567	0.085		
568	0.090		
570	0.128		
571	0.212		
574	0.002		
587	0.191		
613	0.105		
614/1	0.207		
620/1/1	0.075		
622	0.160		
625	0.003		
626	0.117		
627	0.132		
645	0.016		
647	0.024		
652/1	0.090		
655/1/1	0.304		
656	0.006		
659	0.012		
660	0.180		
664	0.008		
665	0.174		
667	0.043		
योग . . .	3.873		
विसनाखेड़ा सबमाइनर			
556/1	0.041		
569	0.025		
578	0.064		
580	0.086		
582	0.054		
583	0.051		
584	0.083		
		112	0.089
		113	0.090
		118	0.061
		119	0.004
		142	0.007
		143	0.054
		144	0.115

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर से चंदला वितरक नहर हरई माइनर चंदला माइनर नं. 3 एवं बिसनाखेड़ा सबमाइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौंडी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 109-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
(ख) तहसील—चन्दला
(ग) ग्राम—बघारी
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—1.141 हे.

भू-अर्जन खसरा विवरण खसरे का क्षेत्रफल अर्जित से भू-खण्डों की संख्या (हेक्टेयर में)

(1)	(2)
104	0.006
105/3	0.074
105/2	0.044
106	0.048
111/1	0.112
112	0.089
113	0.090
118	0.061
119	0.004
142	0.007
143	0.054
144	0.115

(1)	(2)	(1)	(2)
148/1	0.057	119/1	0.040
236	0.019	119/2	0.026
237	0.051	120	0.003
238	0.035	121	0.006
234/2	0.002	122	0.096
239/1	0.099	124/3	0.058
240/1	0.006	124/2	0.087
343/2	0.092	124/4	0.080
344	0.019	128	0.065
345/1	0.057	110	0.035
योग . .	1.141	योग . .	0.726

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर से हरई माइनर की बर्घारी सब माइनर के भू-अर्जन हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

वैरगियापुरखरी माइनर

64	0.093
67	0.045
78	0.058
86/1/3	0.094
89	0.067
90	0.102
91	0.058
92/2	0.118
93	0.106
94	0.003
116	0.009
155	0.173
156/2	0.048
157	0.098

योग . . 1.072

महायोग . . 1.798

प्र. क्र. 110-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छतरपुर
 (ख) तहसील—चन्दला
 (ग) ग्राम—हिनीता
 (घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—1.798 हे.

भू-अर्जन खसरा विवरण खसरे का क्षेत्रफल अर्जित से भू-खण्डों की संख्या (हेक्टेयर में)

(1) (2)

हरई माइनर

116	0.045
117/1	0.072
117/2	0.072
118	0.041

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर से चंदला वितरक की हरई माइनर एवं वैरगियापुरखरी सबमाइनर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लौंडी में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 115-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत

इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—		(1)	(2)
अनुसूची		473	0.076
(1) भूमि का वर्णन—		475	0.054
(क) जिला—छतरपुर		476	0.181
(ख) तहसील—चन्दला		486	0.096
(ग) ग्राम—बैरगियापुखरी		487/1	0.091
(घ) लगभग क्षेत्रफल निजी भूमि—5.601 हे.		487/2	0.104
भू-अर्जन खसरा विवरण	खसरे का क्षेत्रफल अर्जित	489	0.152
से भू-खण्डों की संख्या	(हेक्टेयर में)	492	0.070
(1)	(2)	493	0.067
170	0.316	494	0.180
171	0.057	506	0.076
176/1	0.150	507	0.072
176/2	0.031		
177	0.168		
178	0.115		
183/1	0.072		
183/2	0.066		
200/1	0.110		
200/2	0.110		
200/3	0.005		
201	0.003		
204	0.038		
205	0.029		
206	0.086		
208	0.068		
209	0.063		
210	0.027		
211	0.122		
212	0.014		
231	0.057		
232	0.257		
343/1	0.200		
347	0.052		
348	0.206		
350	0.019		
445	0.129		
446	0.193		
447	0.107		
467/1	0.015		
467/2	0.006		
468	0.009		
469	0.120		
470	0.087		
472	0.019		
			योग . . . 4.345
			गुमानपुर सबमाइनर
		438	0.017
		440	0.067
		442	0.044
		443	0.004
		444	0.080
		513/1	0.002
		513/2	0.026
		516	0.102
		517	0.099
		525	0.037
		526/1	0.090
		526/2	0.022
		528	0.002
		538	0.056
		539	0.010
		540	0.064
		556/4/2	0.081
		556/4/4	0.081
		557/2	0.046
		558	0.003
		595/1	0.145
		595/2	0.034
		595/3/3	0.064
		618/556	0.080
			योग . . . 1.256
			महायोग . . . 5.601
			(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये उक्त भूमि की आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर परियोजना की उमराहा शाखा नहर से चंदला वितरक नहर की हरई माइनर के भू-अर्जन हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 24 अगस्त 2011

क्र. क्यू-भू-अर्जन-1577.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—नरवर
(ग) नगर/ग्राम—मगरौनी
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.71 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
516/1	0.46
516/2	0.16
514/1/1	0.09
योग . .	0.71

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत 2 आर माइनर (एल. आई. एस.) की दौलताबाद सब माइनर का निर्माण कार्य.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. क्यू-भू-अर्जन-1578.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम,

1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—शिवपुरी
(ख) तहसील—नरवर
(ग) नगर/ग्राम—गड़ौला
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.04 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
27/1	0.04
27/2	0.02
30	0.04
31	0.06
32/1	0.08
32/2	0.01
43/1	0.15
43/2	0.01
44	0.08
63	0.12
64	0.03
65	0.02
71/1	0.05
79/3	0.17
80	0.05
81	0.04
82	0.02
83	0.03
84/1	0.01
84/2	0.01

योग . . 1.04

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—सिंध परियोजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत मगरौनी माइनर उद्वहन सिंचाई योजना के निर्माण कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जॉन किंग्सली ए. आर., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.